उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग-1

संख्या-13/2018/1452/55-पर्या-1-2018-259(पर्या)/2017

लखनऊ : दिनांक : 24 अगस्त, 2018

सरकारी गजट, उ0प्र0 में प्रकाशित पर्यावरण अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-549/55-पर्या-1-2018-259-(पर्या)/2017 दिनांक 14 अगस्त 2018 को संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित की जा रही है :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उ0प्र0 शासन।

2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

3- निदेशक, पर्यावरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

4- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम-संख्या–181

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 14 अगस्त, 2018

श्रावण 23, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण अनुभाग–1

संख्या 549/55-पर्या-1–2018-259(पर्या)-2017
लखनऊ, 14 अगस्त, 2018

अधिसूचना

प०आ०–213

चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 48-क' में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी परिकल्पित है कि राज्य को पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने का प्रयास करना होगा;

और, चूँकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर, ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक के प्रयोग के कारण उत्सर्जनों के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार करने के पश्चात यह अनुभव किया है कि ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल व पेट-कोक के प्रयोग के कारण पर्यावरण पर घातक प्रभाव पड़ा है;

और, चूँकि, यह अवलोकित किया गया है कि ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक के प्रयोग से गम्भीर पर्यावरणीय तथा लोक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं;

और, चूंकि पर्यावरण अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी अधिसूचना सं0 2641/55-पर्या-1–2017-259(पर्या)-2017, दिनाक 8 नवम्बर, 2017 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन0सी0आर) के अधीन आने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के भागों में ईधन के रूप में फर्नेस-आयल और पेट-कोक को प्रतिषिद्ध किया था;

अतएव, अब, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (अधिनियम संख्या 14 सन् 1981) की धारा 19 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 2641/55-पर्या-1–2017-259(पर्या)-2017 दिनांक 8 नवम्बर, 2017, का इस बात के सिवाय अधिक्रमण करके, जो ऐसे अधिक्रमण के पूर्व कृत या किये जाने हेतु छोड़े गये बात से संबंधित हो, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से लोकहित में, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन महीने की समाप्ति के पश्चात् सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में ईंधन के रूप में फर्नेस-आयल व पेट-कोक का प्रयोग किया जाना प्रतिषिद्ध करते हैं और यह निदेश देते हैं

कि इस अधिसूचना के अधीन आदेश का अनुश्रवण, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाएगा। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में किसी व्यक्ति द्वारा फर्नेस-आयल और पेट-कोक का प्रयोग किए जाने की स्थितियों में, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, समुचित विधिक कार्यवाही करेगा;

और उत्तर प्रदेश राज्य में सीमेंट एवं लाईम किल्न उद्योगों में ईंधन के रूप में पेट–कोक का प्रयोग अनुज्ञेय होगा, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य में थर्मल पावर प्लाटों में फर्नेस-आयल का प्रयोग दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक अनुज्ञेय होगा।

स्पष्टीकरण:–इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, 'फर्नेस-आयल' और 'पेट-कोक' का तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों में यथा संख्यांकित फर्नेस-आयल और पेट-कोक से है।

आज्ञा से,
कल्पना अवस्थी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of **Article 348 of the Constitution, the** Governor is pleased to order the publication **of the following** English translation of notification no. 549/LV-Parya-1–2018-259**(Parya)-2017, dated** August 14, 2018:

No. 549/LV-Parya-1–2018-259(Parya)-2017
Dated Lucknow, August 14, 2018

WHEREAS Article 48-A of Constitution of India, *inter-alia* envisages that the State shall endeavour to protect and improve the environment;

AND, WHEREAS the Government of Uttar Pradesh after considering the adverse effects of emissions due to the use of furnace oil and pet coke as fuel on the environment and ecology has felt that use of furnace oil and pet coke as a fuel has detrimental effect on the environment;

AND, WHEREAS it is observed that the use of furnace oil and pet coke as a fuel causes serious environmental and public health related problems;

AND, WHEREAS Paryavaran Anubhag-1 Uttar Pradesh Shasan *vide* its notification number 2641/55-Parya-1-2017-259(Parya)-2017, dated November 8, 2017 prohibited the use of furnace oil and pet coke as fuel in such parts of the State of Uttar Pradesh as come under National Capital Region (NCR);

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 19 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (Act no. 14 of 1981), *read* with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of the notification no. 2641/55-Parya-1-2017-259(Parya)-2017 dated November 8, 2017, except as respects done or omitted to be done before such supersession, the Governor, in consultation with Uttar Pradesh Pollution Control Board in public interest, is pleased to prohibit the use of furnace oil and pet coke as fuel in the entire State of Uttar Pradesh after the expiry of three months from the date of publication of this notification in the *Gazette* and to direct that the monitoring of the order under this notification shall be done by the Uttar Pradesh Pollution Control Board. In the circumstances of use of furnace oil and pet coke by any person in the entire State of Uttar Pradesh the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take appropriate legal action under the provisions of the said Act;

And the use of Pet Coke as fuel in the cement and lime kiln industries in the State of Uttar Pradesh shall be permissible whereas the use of Furnace Oil in the Thermal Power Plants in the State of Uttar Pradesh shall be permissible till 31 December, 2018;

Explanation:- For the purposes of this notification 'furnace oil and pet coke' means such furnace oil and pet coke as enumerated in BIS specifications.

By order,
KALPANA AWAṢTHI,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 214 राजपत्र–2018–(536)–599 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 पर्यावरण–2018–(537)–500 प्रतियां (क0/टी0/आफसेट)।